षोडश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-24.07.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री जिवेश कुमार, स०वि०स० श्री अवधेश सिंह, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-203) श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री लाल बाबू प्र गुप्ता, स०वि०स०	"वर्ष 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थियों का अभीतक नियोजन नहीं हुआ है । पाँचवी चरण के शिक्षक नियोजन में 11 से 12 जिलों में शिक्षक पदों के रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर घटा दिया गया जिसका नियोजन अभीतक स्थगित है । अभ्यर्थियों की उम्र सीमा और S.T.E.T. एवं T.E.T. प्रमाण पत्रों की वैधता दोनों समाप्ति के कगार पर है जिससे अभ्यर्थियों में घोर निराशा है । अत: ऐसे सभी अभ्यर्थियों का केन्द्रीयकृत नियोजन या विशेष परिस्थिति में प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री यदुवंश कुमार यादव, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री रवींद्र सिंह, स०वि०स०	''साक्षर भारत योजना के तहत राज्य शिक्षा विभाग के पत्रांक-402, दिनांक-2.3.2011 के आलोक में निर्धारित मानदेय पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर समन्वयकों तथा पंचायत स्तर पर प्रेरकों की बहाली वर्ष 2011 ई० में की गयी थी । राज्य में साक्षरता बढ़ाने एवं सामाजिक परिवर्तन लाने में इनकी सराहनीय भूमिका रहने के बावजूद वर्ष 2016 से इनलोगों के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दिया गया है । अत: इन साक्षरता कर्मियों की सेवा राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित साक्षरता कार्यक्रम में समायोजित करते हुए बकाये मानदेय राशि का भुगतान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/18- 9084 / वि०स०, पटना, दिनांक-23 जुलाई, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 23.7.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-24/18- 9084 / वि०स०, पटना, दिनांक-23 जुलाई, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 23.7.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।